राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:– एफ 1 (11) पंरावि/लेखा/मु./प्रोत्साहन राशि/2011–12/ 4013 जयपुर, दिनांक: 30.11.2011

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, समस्त।

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त।

विषय:– पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने के क्रम में।

राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न करों का हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण की घोषणा 2011–12 के अन्तर्गत समिति की सिफारिश के अनुसार जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को पूर्व वर्ष से अधिक कर राजस्व अर्जित करने की स्थिति में प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त राशि दी जायेगी।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों में विभिन्न करों को उद्ग्रहित करने एवं विभिन्न सेवाओं को करने के बदले फीसों को वसूलने तथा व्यापार एवं व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों से फीस की वसूली का विशद् प्रावधान किया गया है। इसके क्रम में एतद् द्वारा निर्देश दिये जाते है कि समस्त जिला परिषद्, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायत अपनी निजी आय में वृद्धि करने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में प्रावधित कर लगाने एवं शुल्क वसूली हेतु प्रयास करें।

उक्त प्रोत्साहन योजना के तहत जो जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं राजस्थान पंचायती राज नियम में प्रावधित करों एवं शुल्कों की वसूली कर अधिक राजस्व अर्जित करती है, उन्हें संग्रहीत किये गये गत वर्ष की तुलना में अर्जित अतिरिक्त राजस्व राशि के बराबर/राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की सिफारिशानुसार/निर्बन्ध कोष में उपलब्ध राशि की सीमा तक आनुपातिक प्रोत्साहन राशि विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। इस प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अर्जित अतिरिक्त राजस्व राशि के बराबर प्रोत्साहन राशि करों एवं शुल्कों को उन व्यक्तियों/संगठनों से वसूली पर देय होगी, जिनसे पूर्व में इस तरह के कर/ शुल्क की वसूली नहीं की गई है अथवा जिनसे ऐसी वसूली नहीं हुई है। उदाहरण के लिये यदि किसी जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में गृह कर देने योग्य पक्के भवनों से गृहकर की वसूली आरम्भ करती है तो संबंधित पंचायती राज संस्था को वसूल किये गये गृहकर के बराबर/ राज्य वित्त आयोग चतुर्थ द्वारा सिफारिशानुसार/निर्बन्ध कोष में उपलब्ध राशि की सीमा तक आनुपातिक राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जायेगी। यदि यह गृहकर पहले से ही एकत्रित किया जा रहा है तो उक्त कर की वसूली राशि में से जितनी अधिक राशि वसूल की गई है उस वृद्धि के बराबर/आयोग द्वारा सिफारिशानुसार/निर्बन्ध कोष में उपलब्ध राशि की सीमा तक राशि प्रोत्साहन के रूप में देय होगी। इसी प्रकार पेट्रोल/डीजल पम्प, ढाबा आदि से शुल्क वसूली कर शुल्क के बराबर अथवा शुल्क वसूली में बढोतरी पर अतिरिक्त, एकत्रित शुल्क के बराबर/राज्य वित्त आयोग चतुर्थद्वारा सिफारिशानुसार/निर्बन्ध कोष में उपलब्ध राशि की सीमा तक प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू होगी। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में किये गये राजस्व संग्रहण की सूचना संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद् पंचायती राज विभाग को वित्तीय वर्ष समाप्ति पर प्रस्तुत की जायेगी। विकास अधिकारी पंचायत समिति का यह दायित्व होगा की वे ग्राम पंचायत के प्रकरण को अपनी अनुशंषा सहित जिला परिषद् को यथा शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। संबंधित जिला परिषद अपनी अनुशंषा सहित पंचायती राज विभाग को अविलम्ब भिजवायेंगे। पंचायत समिति के प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति जिला परिषद को प्रस्तुत करेंगे एवं संबंधित जिला परिषद अपनी अनुशंषा सहित पंचायती राज विभाग को अविलम्ब भिजवायेंगे। जिला परिषद के प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे।, पंचायती राज विभाग द्वारा संबंधित संस्थाओं को संग्रहित किये गये अतिरिक्त राजस्व के बराबर प्रोत्साहन राशि/एसएफसी–चतुर्थ की सिफारिश के अनुसार/निर्बंध कोष में उपलब्ध राशि की सीमा तक आनुपातिक प्रोत्साहन राशि का आवंटन किया जावेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त ग्राम पंचायतों को उक्त योजना से अवगत करावें तथा उन्हें अपने संसाधनों को बढ़ाने एवं प्रोत्साहन राशि का क्लेम करने हेतु प्रोत्साहित करें ताकि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की पालना हो सकें।

संलग्न- प्रपत्र 1 से 5 तक

शासन सचिव एवं आयुक्त

4014-19
30-11-2011

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
5. लेखाधिकारी/चरि.लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रपत्र-I

प्रोत्साहन योजना (अधिक कर राजस्व अर्जित) के अन्तर्गत प्रोत्साहन अनुदान के आवंटन हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

(ग्राम पंचायत हेतु)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति .....

विषयः– प्रोत्साहन राशि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव।

संदर्भः– विभागीय दिशा निर्देश दिनांक .....

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित दिशा निर्देशो के क्रम में ग्राम पंचायत ..... की निजी आय का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	निजी आय का विवरण (मदवार)	वर्ष 2010–11 में निजी अर्जित आय	वर्ष 2011–12 में निजी अर्जित आय	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (4–3)
1	2	3	4	5
योग				

भवदीय

सरपंच
ग्राम पंचायत .....

सचिव
ग्राम पंचायत .....

प्रपत्र-2

प्रोत्साहन योजना (अधिक कर राजस्व अर्जित) के अन्तर्गत प्रोत्साहन अनुदान के आवंटन हेतु प्रस्ताव का प्रारूप
(पंचायत समिति हेतु)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, ...

विषयः— प्रोत्साहन राशि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव।

संदर्भः— विभागीय दिशा निर्देश दिनांक .....

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित दिशा निर्देशो के कम में पंचायत समिति ..... की निजी आय का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	निजी आय का विवरण (मदवार)	वर्ष 2010–11 में निजी अर्जित आय	वर्ष 2011–12 में निजी अर्जित आय	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (4–3)
1	2	3	4	5
योग				

भवदीय

विकास अधिकारी
पंचायत समिति .....

लेखाकार
पंचायत समिति .....

प्रोत्साहन योजना (अधिक कर राजस्व अर्जित) के अन्तर्गत प्रोत्साहन अनुदान के आवंटन हेतु प्रस्ताव का प्रारूप
(जिला परिषद हेतु)

शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः-- प्रोत्साहन राशि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव।

संदर्भः-- विभागीय दिशा निर्देश दिनांक .....

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित दिशा निर्देशो के क्रम में जिला परिषद ..... की निजी आय का विवरण निम्नानुसार है:--

क्र.सं.	निजी आय का विवरण (मदवार)	वर्ष 2010--11 में निजी अर्जित आय	वर्ष 2011--12 में निजी अर्जित आय	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (4--3)
1	2	3	4	5
योग				

भवदीय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद .....

लेखाधिकारी

जिला परिषद .....

प्रोत्साहन योजना (अधिक कर राजस्व अर्जित) के अन्तर्गत प्रोत्साहन अनुदान के आवंटन हेतु प्रस्ताव की अनुशंषा का प्रारूप

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद.......................

विषयः– प्रोत्साहन राशि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव।

संदर्भः– विभागीय दिशा निर्देश दिनांक ....

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित दिशा निर्देशो के कम में निम्नाकिंत ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2011–12 में निजी आय में की गई वृद्धि की तालिका निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2010–11 में निजी अर्जित आय	वर्ष 2011–12 में निजी अर्जित आय	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (4–3)
1	2	3	4	5
योग				

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण की जांच कर ली गई है। कॉलम संख्या 2 में अंकित ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्यधीन रहते हुऐ तथा इनमें वर्णित प्रावधानों एवं प्रोत्साहन योजना के संदर्भित दिशा निर्देशों में अंकित बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही करते हुए निजी आय में वृद्धि प्राप्त की गई है। अतः कॉलम संख्या 5 में अंकित राशि का संबंधित ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटन किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

लेखाकार
पंचायत समिति ....

विकास अधिकारी
पंचायत समिति ....

विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार ग्राम पंचायतों हेतु प्रोत्साहन राशि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

लेखाधिकारी
जिला परिषद ....

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद ....

प्रपत्र-5

<u>प्रोत्साहन योजना (अधिक कर राजस्व अर्जित) के अन्तर्गत प्रोत्साहन अनुदान के आवंटन हेतु प्रस्ताव की अनुशंषा का प्रारूप</u>

शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः— प्रोत्साहन राशि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव।

संदर्भः— विभागीय दिशा निर्देश दिनांक .....

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित दिशा निर्देशो के क्रम में निम्नांकित ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों को निजी आय में की गई वृद्धि की तालिका निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति का नाम	वर्ष 2010–11 में निजी अर्जित आय	वर्ष 2011–12 में निजी अर्जित आय	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (4–3)
1	2	3	4	5
योग				

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण की जांच कर ली गई है। कॉलम संख्या 2 में अंकित ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्यधीन रहते हुऐ तथा इनमें वर्णित प्रावधानों एवं प्रोत्साहन योजना के संदर्भित दिशा निर्देशों में अंकित बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही करते हुए निजी आय में वृद्धि प्राप्त की गई है। अतः कॉलम संख्या 5 में अंकित राशि का संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों को प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटन किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद .....

लेखाधिकारी
जिला परिषद .....